न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 69/2020

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
अगरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी लाम्बड़ा तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.09.2020 जो प्रकरण सं. 39/2020 मे तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : **16/02/2021**

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण सं. 39/2020 सरकार बनाम **अगरसिंह** मे पारित निर्णय दिनांक **28.09.2020** के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का चेतरोड़ी द्वारा तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लाम्बड़ा के खसरा नम्बर **805** रकबा **226–19** बीघा किस्म गैर मुमकीन गौचर सरकारी भूमि मे से **0–12** बीघा पर गैर सायल **अगरसिंह पुत्र प्रेमसिंह कौम राजपूत साकिन लाम्बड़ा** [illegible] का मकान व झोपा व बाड़ा बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है [illegible] अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इसका पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:44 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **28.09.2020** के द्वारा **50/–** रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण मे विषय वस्तु के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नही लिये गये तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है जबकि हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता के कब्जे का ना तो मौका देखा और ना ही मौके पर आकर रिपोर्ट तैयार की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना राजनैतिक दबाव में आकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की घोर अवहेलना होने से खारिज योग्य है। अपीलांट का ग्राम की आबादी में पिछले 40 वर्षों से निवास है तथा अपीलांट ने कच्चा/पक्का निर्माण कर निवास किया है। अपीलकर्ता के साथ ही अन्य 45 परिवारों का भी रहवासीय कब्जा है तथा निवास कर रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता का आवासीय मकान आबादी भूमि से बाहर होकर मुमकिन गोचर में होने के संबंध में कोई भू–माप सीमा ज्ञान की रिपोर्ट मौका फर्द साक्ष्य में रेकर्ड पर नहीं ली गई है, न ही अपीलाधीन आदेश में यह फाइन्डिंग दी गई है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट का मकान आबादी से बाहर गोचर में स्थित है। ग्राम लाम्बड़ा की आबादी भूमि खसरा नं. 790 में आवंटित की गई थी जो रेतीले टीलों से घिरी होने से रहवास योग्य नहीं होने पर उसे खारिज करवाते हुए बसी हुई आबादी के स्थान पर परिवर्तित करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.03.2003 को पारित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर जिला कलक्टर बाड़मेर में अपने आदेश क्रमांक एफ.12(3)(79)राज/2003/1817–23 दिनांक 03.03.2006 के द्वारा खसरा नं. 805 में क्रमशः 1824/805 रकबा 05–10, 1825/805 रकबा 05–10 व खसरा नं. 1826/805 रकबा 05–03 बीघा कुल रकबा 16–03 बीघा आबादी में परिवर्तित की जाने के आदेश पारित किये गए। इस प्रकार अपीलकर्ता एवं अन्य निवासियों के कब्जे अधीन भूमि आबादी में संपरिवर्तित की जा चुकी थी। ऐसे में अपीलार्थी को गैर मुमकिन गोचर भूमि पर नाजायज अतिक्रमी घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही पूर्णतया राजनितिक दबाव में की गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि से परे होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम लाम्बड़ा के खसरा नम्बर 805 रकबा 226–19 बीघा किस्म गैर मुमकीन गौचर भूमि मे से 0–12 बीघा पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में मुतनाजा भूमि पर अपने किसी प्रकार के विधिक हक अधिकार के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:44 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

घोषित कर उस पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम पंचायत के द्वारा गांव लाम्बड़ा की आबादी विस्तार के लिये गैर मुमकीन भूमि गौचर से गैर मुमकीन आबादी मे संपरिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव सरकारी स्तर पर प्रस्तावित/अनुमोदित होना प्रकट किया है, किन्तु इस संबंध में अपीलांट ने अपने कब्जे को विधिवत रूप से ग्राम पंचायत के अधीन आवंटन योग्य होने का कोई तथ्यपरक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यदि पूर्व में आंवटित आबादी भूमि के बदले विवादित गोचर भूमि में से आबादी भूमि आंवटित हुई है तो उसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जा चुका है। इसके बावजूद अपीलांट ने उक्त आबादी क्षेत्र से बाहर गोचर भूमि में कब्जा कर निर्माण किया है, जो इस आधार पर कतई विधिक नहीं ठहराया जा सकता कि बसी हुई आबादी से भिन्न तरमीम की गई है। यहॉ इस तथ्य का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि विवादित गोचर भूमि में से आबादी भूमि आंवटित होने से पूर्व अपीलांट का कब्जा है अथवा इसके पश्चात् ? ऐसे में अपीलांट इस अपील के द्वारा मुतनाजा सरकारी भूमि पर अपने हक–स्वामित्व साबित करने में विफल रहा हैं तथा बिना किसी ठोस साक्ष्य के अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलाधीन कार्यवाही पूर्णतया विधिसम्मत होती है तथा इसमें किसी प्रकार कोई विधिक या वास्तविक त्रुटि कारित नहीं हुई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:44 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक **28.09.2020** यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार गडरारोड़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

8. निर्णय आज दिनांक **16.02.2021** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:44 IST
Reason: SelfAttested